



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- जयपुर में पुलिस थाना अमरसर का हैड कानिस्टेबल 17 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 27 सितम्बर/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की जयपुर देहात इकाई द्वारा आज सोमवार को कार्यवाही करते हुये बलदेव हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना अमरसर, जिला जयपुर ग्रामीण को परिवादी से 17 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर देहात इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके एक्सीडेंट की रिपोर्ट पर एफ.आई.आर. दर्ज करने की एवज में बलदेव हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना अमरसर, जिला जयपुर ग्रामीण द्वारा 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की जयपुर देहात इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरोत्तम लाल वर्मा के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रैप कार्यवाही करते हुये बलदेव प्रसाद पुत्र श्री हंसराज नायक निवासी वार्ड नं 02, नायकों का मौहल्ला, पुलिस थाना खंडेला, जिला सीकर हाल हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना अमरसर, जिला जयपुर ग्रामीण को परिवादी से 17 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।